न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 216/2024
GCMS NO. 2024/409

सज्जन सिंह पुत्र माडूराम उम्र 49 वर्ष जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................प्रार्थी/आवेदक

– ब ना म –

1. जुगलाल सिंह पुत्र रेखा, उम्र 86 साल, जाति जाट, निवासी पालोता, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)
2. अनार देवी पत्नि शिवलाल, उम्र साल, जाति जाट, निवसी पालोता, तहसील बुहाना हाल आबाद वार्ड नं. 10 चौधरी कॉलोनी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज०)
3. विकास पुत्र शिवलाल, उम्र साल, जाति जाट, निवसी पालोता, तहसील बुहाना हाल आबाद वार्ड नं.10 चौधरी कॉलोनी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज०
4. विजयपाल पुत्र शिवलाल, उम्र साल, जाति जाट, निवसी पालोता, तहसील बुहाना हाल आबाद वार्ड नं.10 चौधरी कॉलोनी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज०)
5. सरोज गजराज पुत्री शिवलाल उम्र साल, जाति जाट, निवसी पालोता, तहसील बुहाना हाल आबाद वार्ड नं.10 चौधरी कॉलोनी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज०)
6. श्रीचन्द पुत्र डालूराम, जाति जाट, निवासी पालोता, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज०)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज०)

..............अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी
अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश चौधरी
2. श्री अंकित यादव

अभिभाषक प्रार्थी/आवेदक

3. श्री राजेश कुमार
4. श्री अशोक कुमार
5. श्री मनोज कुमावत

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 02.06.2025

उपर्युक्त जनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक 14.08.2024 को इस आशय का पेश किया गया है कि :—

1. यह कि ग्राम पालोता स्थित भूमि हाल खाता संख्या 124 जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के खसरा नम्बर 337 / 230 रकबा 0.54 हैक्टर का खातेदार काश्तकार आवेदक हैं।
2. यह कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 337 / 230 के पूर्व में खसरा नम्बर 293 / 243 रकबा 0.67 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 हैं तथा खसरा नम्बर 293 / 243 के पूर्व में अनावेदक संख्या—1 की भूमि खसरा नम्बर 292 / 243 रकबा 0.67 हैक्टर जिसके पश्चिमी कोने में से एक कटानी रास्ता उत्तर से दक्षिण पालौता से सांवलोद को जाता हैं तथा अनावेदक संख्या—1 लगायत 5 के उसी भूमि के उत्तर से अनावेदक संख्या—7 की भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 2.93 हैक्टर स्थित है।
3. यह कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 337 / 230 तक आवागमन करने के लिए पूर्व में स्थित रास्ते से अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि की उत्तरी मेड तथा अनावेदक संख्या—6 की दक्षिण मेड के सहारे—सहारे दोनो तरफ 7—7 फूट चौड़ाई से कुल 14 फीट चौड़ाई के पश्चिम में स्थित आवेदक भूमि तक आवश्यकता है। आवेदक के लिए रास्ते के लिए सबसे नजदीक यही रास्ता लगता है तथा आवेदक इसी रास्ते से पूर्व से आता जाता रहा हैं तथा कब्जा काश्त करता रहा हैं। लेकिन अब इस रास्ते के उपर मेड पर से तारबाड़ कर देने से आवेदक अपनी भूमि को कास्त नहीं कर सकता हैं तथा ना ही ट्रैक्टर लेकर जा सकता हैं तथा ना ही बुआई कर सकता हैं। इसलिये आवेदक को उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश कर रहा है जिसमें मार्क अ से ब प्रस्तावित रास्ते को दर्शाया हैं।
4. यह कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 337 / 230 रकबा 0.54 हैक्टर के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं लगता हैं तथा सबसे नजदीक अनावेदक संख्या—1 लगायत 5 की भूमि खसरा नम्बर 293 / 243, खसरा नम्बर 292 / 243 की उत्तरी मेड तथा अनावेदक संख्या 6 की भूमि खसरा नम्बर 244 की दक्षिणी मेड के उपर से दोनो तरफ पूर्व में दर्ज रास्ते से पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 337 / 230 तक सबसे उपयुक्त व नजदीक हैं तथा आवेदक पूर्व में इसी रास्ते से आवागमन करता रहा हैं। आवेदक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बनाये गये नियम के अनुसार डी.एल.सी. की दुगनी राशि देने के लिए तैयार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

5. यह कि वर्तमान में अनावेदक ने आवेदक की भूमि तक जाने के लिए जो रास्ता था उसको बन्द करके तारबाड़ कर दी हैं। जिसकी वजह से आवेदक अपनी भूमि कास्त नहीं कर सकता हैं तथा आवेदक की फसल पकने पर उसको काट लाट नहीं सकता हैं। इसलिए उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा हैं।
6. यह कि विवादित भूमि ग्राम पालोता, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० में स्थित होने से न्यायालय श्रीमानजी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त हैं।
7. यह कि आवेदन पत्र 2/– रूपये कोर्ट फीस पर पेश हैं।
8. यह कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक का शपथ पत्र संलग्न है।
9. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

   (क) ग्राम पालोता स्थित भूमि खसरा नम्बर 337/230 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि के लिए खसरा नम्बर 293/243 व 292/243 की उत्तरी मेड तथा खसरा नम्बर 244 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे दोनो तरफ 7–7 फुट कुल 14 फूट रास्ता पूर्व में स्थित कटानी रास्ते से नजरी नक्शे में मार्क अ से ब तक पश्चिम में स्थित आवेदक की भूमि तक रास्ता कायम किया जाकर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि की किस्म रास्ता दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मापन किया जाकर सीमाचिन्ह कायम किया जावें।

10. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
11. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6 की ओर से दिनांक 20.12.2024 को इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :–
12. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 में भूमि ख.न. 337/230 आवेदक की खातेदारी में दर्ज है लेकिन इस भूमि के विभाज़न से पूर्व खसरा नः 230 थे जो आवेदक एवं रज्जोदेवी पत्नी सत्यवीर, सरोज पत्नी सुरेन्द्र एवं निर्मला पत्नी सुभाष के नाम दर्ज था। विभाजन में ख.न. 230 के वर्तमान ख.न. 336/230, 337/230, 338/230, 339/230 कायम किये गये है। ख.न. 230 के उत्तर में खसरा नं. 179 व 229 स्थित है जिसमें से गांव पालौता से पुहानियां के लिये रिकार्ड एवं कटानी रास्ता जो मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है।
13. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नही। खसरा नं. 337/230 अविभाजित खसरा नं. 230 का ही भाग है इसलिये खसरा नं. 230 के लिये सबसे सरल सुगम [illegible] एवं लघुतम रास्ता गांव पालोता से पुहानियां जाने वाले सड़क से खसरा नं. 179 व 229 की सीमा पर से रास्ता दिये जाने योग्य है क्योंकि उक्त [illegible] नं. 336/230 भी रास्ते से जुड़ जायेगा एवं एक अन्य काश्तकार को रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आवेदक ने पालोता से सांवलोद जाने वाले रास्ते से खसरा नं. 292/243

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

एवं 244 व 293/243 में से रास्ते की मांग गलत की है क्योंकि यदि खसरा नं. 292/243 की उत्तरी सीमा से रास्ता कायम किया जाता है तो इस खसरा नं. 292/243 के चार टुकड़े बन जायेगे जिनमें से दो तो रास्तों के ही टुकड़े हो जायेंगे तथा दोनों रास्तों के बीच में जो रकवा रहेगा वह काश्त नहीं हो पायेगा क्योकि उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम रह जायेगा। जिसमें से काश्त हेतु ट्रेक्टर घूम नहीं सकेगा। तथा खसरा नं. 244 व 293/243 जो पहले से ही रास्ते से लगते हुये हैं उनमें से रास्ता कायम किया जाता है तो उक्त दोनों खेतों में से रास्ते ही रास्ते हो जायेंगे। एवं कृषि भूमि का रकबा घट जायेगा। जबकि उक्त खेतों में से नया रास्ता कायम करने से किसी भी काश्तकार को रास्ते का अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पायेगा। जबकि खसरा नं. 179 व 229 की सीमा पर से खसरा नं. 337/230 तक रास्ता कायम किया जाता है तो खसरा नं. 336/230 व 338/230 के काश्तकार को भी रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसलिये कृषि भूमि का रकबा भी सुरक्षित रह जायेगा एवं नजदीक काश्तकार को रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी इसलिये उपरोक्त सभी दृष्टिकोण से सबसे सरल, सुलभ एवं न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा नं. 179 व 229 की सीमा पर से कायम करने से उचित रहेगा।

14. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 3 गलत है स्वीकार नहीं। जबाव आवेदन पत्र के खण्ड सं. 2 में वर्णित अनुसार नया रास्ता खसरा नं. 337/230 के लिये खसरा नं. 179 व 229 की सीमा पर से कायम किया जाना सबसे सरल, सुलभ एवं न्यूनतम दूरी वाला रहेगा। इससे सम्बन्ध में नजरी नक्शा जबाव के साथ अलग से पेश है।

15. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 4 गलत है स्वीकार नहीं। खसरा नं. 337/230 के लिये यदि खसरा नं. 292/243 में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे यदि रास्ता कायम किया जाता है तो इस भूमि के चार टुकड़े हो जायेगे क्योंकि इसमें से एक रास्ता पहले से है एक नया कायम कर दिया जायेगा तो दो रास्ते हो जायेंगे तथा उक्त रास्तों के मध्य जो रकबा कृषि भूमि का बचेगा वह काश्त नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनों रास्तों के मध्य रकबे की लम्बाई–चौडाई इतनी कम रह जायेगी उसमें से ट्रैक्टर हल सहित न तो घुम सकेगा न ही सीधा चल पायेगा इसलिये खसरा नं. 292/243 की कृषि भूमि बर्बाद हो जायेगी। तथा खसरा नं. 293/243 रास्ते से सटती हुई है एवं खसरा नं. 244 में से भी रास्ता जाता है इसलिये खसरा नं. 244 में से भी दो रास्ते हो जायेगे एवं खसरा नं. 293/243 में भी दो रास्ते हो जायेगे। एवं खसरा नं. 179 व 229 की सीमा पर खसरा नं. 336/230 की उत्तरी सीमा में से खसरा नं. 337/230 तक रास्ता कायम किये जाने से खसरा नं. 336/230 व 338/230 के काश्तकार को भी रास्ते की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

हो सकेगी। इसलिये जबावदाताओं की भूमि में से रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

16. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 5 गलत है स्वीकार नहीं है।

17. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 6 कानूनी है उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

18. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 7 कानूनी है उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

19. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं. 8 गलत है स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त उत्तर

20. यह कि ग्राम पालोता से पुहानियां के लिये जाने वाले कटानी रास्ता जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है यह रास्ता खसरा नं. 229 व 232 की पश्चिमी सीमा से सटता हुआ निकलता है। खसरा नं. 229 व 232 की सीमा पर से खसरा नं. 336/230 व 338/230 की सीमा पर से खसरा नं. 337/230 व 339/230 तक रास्ता कायम किये जाने से पांच जोतों के खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अर्थात एक ही रास्ते से खसरा नं. 336/230 व 338/230, 337/230, 339/230 व 334/231 के खातेदारों को आसानी से सरल, सुलभ एवं न्यूनतम दूरी का रास्ता उपलब्ध हो सकेगा एवं अलग–अलग रास्ते भी कायम नहीं करने पड़ेगे। इसलिये सरल एवं सुलभ का अर्थ यही है कि नये कायम किये जाने रास्ते की सुविधायें सबसे ज्यादा प्राप्त हो केवल एक खातेदार के लिये कम–दूरी का रास्ता कायम करने से रास्ता सुविधाजनक एवं सुलभ नहीं होता बल्कि एक रास्ते से अत्यधिक खातेदारों को लाभ मिले वही सरल एव सुविधाजनक रास्ता है इसलिए खसरा नं. 337/230 के लिये खसरा नं. 229 व 232 की सीमा पर से अविभाजित खसरा नं. 230 तक रास्ता कायम किया जाता है तो वह सबसे सरल एवं सुलभ न्यूनतम दूरी वाला है तथा उक्त रास्ते से सबसे ज्यादा पांच जोतों को एक साथ रास्ते की सुविधा प्राप्त होगी इसलिये जबावदाताओं की भूमि में से नया रास्ता कायम की करने की अपेक्षा खसरा नं. 229 व 232 की सीमा पर से रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। एंव जबावदाताओं के खिलाफ यह आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

21. **अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–** आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

22. तहसीलदार बुहाना से उनके पत्रांक भू.अ./2024/3040 दिनांक 18.12.2024 से मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भू.अ.निरीक्षक वृत सांखलोद दिनांक 09.12.2024 प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है :–

23. आवेदक द्वारा वाके ग्राम पालोता स्थित भूमि खसरा नम्बर 337/230 रकबा 0.54 हेक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 293/243 व 292/243 की उत्तरी मेड़ तथा खसरा नम्बर 244 की दक्षिणी [illegible]ड़ के सहारे सहारे दोनों तरफ दो–दो मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है। रास्ते की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

24. आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता के अतिरिक्त जो रास्ता सबसे सुलभ एवं नजदीक है। वह रास्ता मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के आवेदक द्वारा चाहा गया खसरा नम्बर 293/243 व 292/243 की उत्तरी मेड़ व खसरा नम्बर 244 की दक्षिणी मेड़ के सहारे-सहारे वाला ही है। इसके अलावा कोई अन्य सुलभ एवं नजदीक का रास्ता नहीं बनता। प्रस्तावित रास्ते के चारों तरफ के खसरा नम्बरों को नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है। नक्शा ट्रेस संलग्न है।

25. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के उक्त रास्ता सबसे सुलभ व नजदीक है।

26. प्रस्तावित रास्ता 04 मीटर चौड़ा होगा तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु ए से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 337/230 बिन्दु संख्या बी तक रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है जो प्रस्तावित मार्ग/निकटतम व लघुतम है।

27. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 244 में चौड़ा 02 मीटर व लम्बाई में 128 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर बनता है तथा खसरा नम्बर 292/243 में चौड़ा 02 मीटर व लम्बाई में 28 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर बनता है तथा खसरा नम्बर 293/243 में चौड़ा 02 मीटर व लम्बाई में 100 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 256+56+200=512 वर्ग मीटर बनता है अर्थात 0.0512 हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा जिसकी गणना वर्तमान डी.एल.सी. के दुगुने में कुल राशि 98,918/- रूपये अठाणवे हजार नौ सौ अठारह रूपये मात्र।

28. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त खड़े वृक्षों में दो खेजड़ी को हटाने के कारण पेड़ो का नुकसान होगा।

29. प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2075-2078 खाता संख्या नया 124, 93, 85, 24 व नकल नक्शा ट्रेस सन् 1977-78 राजस्व ग्राम पालोता पेश हुये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नजरी नक्शा पेश हुआ। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। अप्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति नक्शा ट्रेस सन् 1977-78 खसरा नम्बर 179, 229, 336/230, 337/230, 338/230, 339/230 व अन्य राजस्व ग्राम पालोता, नकल जमाबन्दी संवत 2075-2078 खाता संख्या 126, 25, 123, 122, 98, 99, 23, 99, 29 राजस्व ग्राम पालोता पेश हुये।

30. अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

31. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

32. **विचारणीय बिन्दु** :– क्या प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

33. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थी भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/3040 दिनांक 18.12.2024 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 09.12.2024) से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी को अपनी जोत (हॉलिंग) खसरा नम्बर 337/230 रकबा 0.54 हेक्टेयर में पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है। प्रार्थी के पास प्रस्तावित नवीन/नये रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत खसरा नम्बर 337/230 रकबा 0.54 हेक्टेयर में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 244 रकबा 2.93 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 292/243 रकबा 0.67 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 293/243 रकबा 0.67 हेक्टेयर ग्राम पालोता में से प्रस्तावित (नजरी नक्शा में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम एवं लघुतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर बनता है।

34. प्रार्थी के द्वारा अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने दोनों ही अधिकार प्रदत्त करती है।

35. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान बखूबी लागू होने से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: SelfAttested

36. अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 18.12.2024 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 09.12.2024) प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम पालोता पटवार हल्का सांवलोद तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी की एकांकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 337/230 रकबा 0.54 हेक्टेयर में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम पालोता पटवार हल्का सांवलोद तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 93, 85,

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

24 के अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 2.93 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 293/243 रकबा 0.67 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 292/243 रकबा 0.67 हेक्टेयर में से नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 09.12.2024 **(प्रदर्श–"अ")** में लाल स्याही से अंकितानुसार बिन्दु संख्या **A** से **B** तक रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 244 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 128 मीटर क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर, भूमि खसरा नम्बर 292/243 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 28 मीटर क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 293/243 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 100 मीटर क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC 09,66,000/– रूपये (अधिकतम) की दर से रकबा 512 वर्ग मीटर भूमि की दुगुनी राशि 98,920/– रूपये (अक्षरे अठानवे हजार नौ सौ बीस रूपये) प्रार्थी तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगा। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 244, 292/243, 293/243 के खातेदार/अप्रार्थीगण को प्रतिकर की राशि 98,920/–रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। तद्नुसार भूमि खसरा नम्बर 244, 292/243, 293/243 के रकबा में से रास्ते की बाबत 512 वर्ग मीटर (0.0512 हेक्टेयर) भूमि निर्वापित कर रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म **"गैर मुमकीन रास्ता"** के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में अभिलिखित करेगें। उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। **प्रदर्श–"अ"** इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। जांच रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के दायरे में 2 पेड़ खेजड़ी के प्रभावित होगे। अतः उक्त दोनों पेड़ो का अनुमानित मूल्य अधिकतम 11,000/– रूपये (अंकेही ग्यारह हजार रूपये) निर्धारित किया जाता है। यह राशि भी प्रार्थी तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगा। तहसीलदार बुहाना संबंधित खातेदार/अप्रार्थीगण को 11,000/–रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता कायम होने के पश्चात उक्त दोनों पेड़ो को मौके से हटाकर मजमे आम में निलामी के जरिये निस्तारण कर प्राप्त राजस्व को राजकोष में जमा करवाने की तहसीलदार बुहाना को अनुमति प्रदान की जाती है।

37. निर्णय आज दिनांक **02.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:37 IST
Reason: SelfAttested